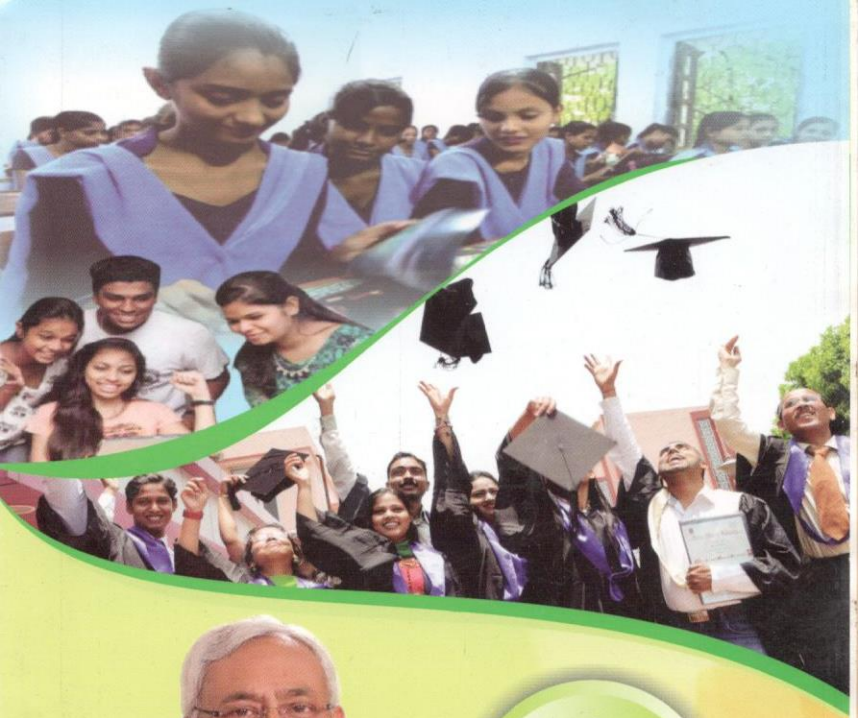

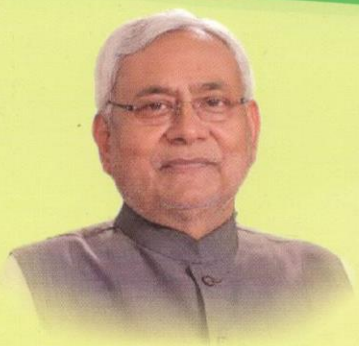

बिहार सरकार

अति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकास

बिहार सरकार की विशेष पहल

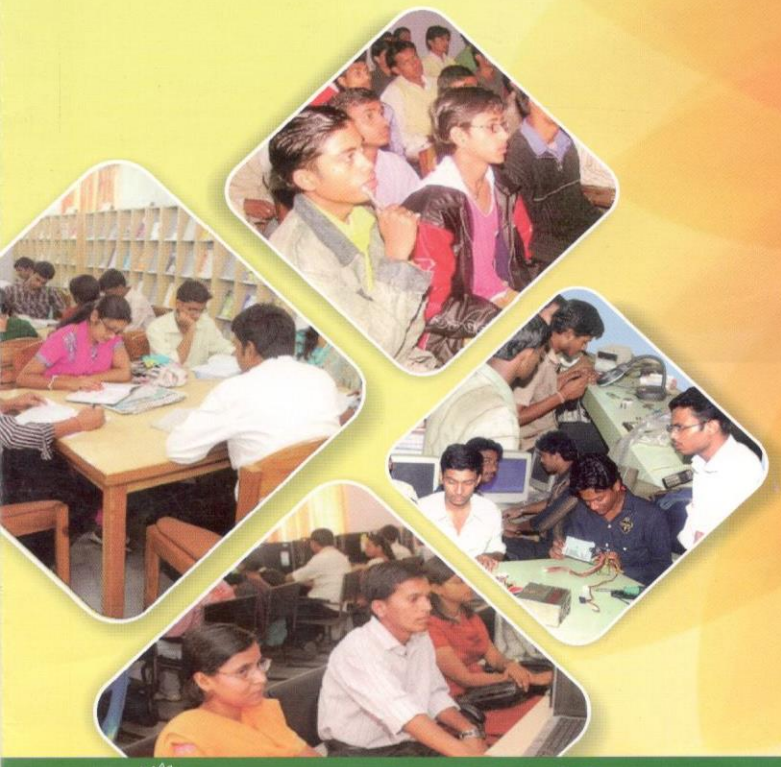

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग
बिहार सरकार

अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण

अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना

- ✓ इस योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग–1 से 10 तक अध्ययनरत अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। यह दर वर्ग 1 से 4 तक के लिए 50 रु० प्रतिमाह, वर्ग 5 एवं 6 के लिए 100 रु० प्रतिमाह, वर्ग 7 से 10 के लिए 150 रु० प्रतिमाह एवं वर्ग 1 से 10 तक (छात्रावासी) के लिए 250 रु० प्रतिमाह निर्धारित है।
- ✓ इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों के अभिभावकों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।
- ✓ वर्ष 2017–18 में इस योजना का कार्यान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसके तहत रु० 911.94 करोड़ शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2018–19 में पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति हेतु कुल 1098.47 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

- ✓ इस योजना के तहत वर्ग 11 एवं उच्चत्तर कक्षा तथा डिप्लोमा/डिग्री स्तर का मेडिकल/इंजीनियरिंग/प्रबंधन एवं अन्य प्रवेशिकोत्तर कोर्सों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका लाभ प्राप्त करने हेतु अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदकों के अभिभावक की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रु० होनी चाहिए।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2017–18 में पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 से छात्रवृत्ति का वितरण शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।
- ✓ भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 से राज्य के अंदर सभी सरकारी संस्थानों एवं राज्य के बाहर देश के अंतर्गत सभी सरकारी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क संबंधित राज्य के सरकारी शिक्षण संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क अनुमान्य है।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2016–17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर

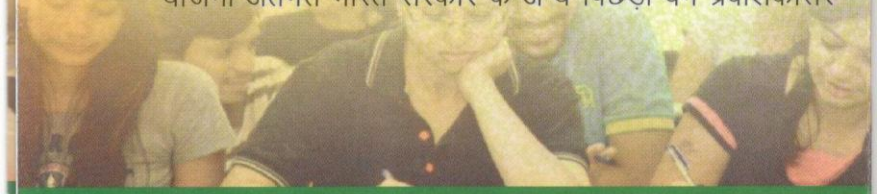

छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर केंद्रीय सरकारी संस्थानों (यथाः आई०आई०टी०, एन०आई०टी० में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम क्रमशः 90,000 रु० तथा 70,000 रु० की दर) एवं अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थानों यथाः नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एन०आई०एफ०टी०, जे०आई०पी०एम०ई०आर०, एम्स आदि में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए निर्धारित वार्षिक शिक्षण एवं अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम सीमा 75,000 रु० की दर पर छात्रवृत्ति अनुमान्य है।

- ✓ वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लगभग 1.15 लाख छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 216.97 करोड़ रु० का बजट उपबंध किया गया है तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लगभग 2,50,000 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा।
- ✓ इस योजना की जानकारी http://bcebwelfare.bih.nic.in तथा scholarships.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना

- ✓ राज्य सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य स्थायी रूप से निवास करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा 10,000 रु० एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है। वर्ष 2018–19 में इसके लिए 95 करोड़ रु० आवंटित किया गया है तथा 95000 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास

- ✓ अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक जिला में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। 24 जिलों में निर्मित जिसमें से 10 जिलों में वर्तमान में संचालित है तथा है। शेष 14 जिलों में निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को रसोईया, रोशनी, बर्तन इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास में एक छात्रावास अधीक्षक होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा मानदेय के रूप में अधीक्षक भत्ता दिया जाता है, जिनपर

14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे,
कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह–सवेरे।

छात्रावास के संचालन का उत्तरदायित्व रहता है।

- इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास

- वित्तीय वर्ष 2008–09 में अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक जिला में 100 आसन वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण योजना के अंतर्गत छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। 21 जिलों में भवन निर्माण पूर्ण हो गया है एवं अन्य 9 जिलों में निर्माण चल रहा है। शेष 8 जिलों में निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है।
- इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय

- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन वर्तमान में अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित है, जिनमें वर्ग 6–12 तक कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। इन आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का स्वीकृत छात्र बल प्रति विद्यालय 280 है। वर्तमान में कुल 2810 छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में छात्राओं को भोजन, पठन–पाठन सामग्री, पुस्तकालय तथा तेल, साबुन इत्यादि के लिए निर्धारित दरों पर राशि उपलब्ध कराई जाती है।
- इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

प्राक परीक्षा प्रशिक्षण योजना

- यह योजना अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को यू०पी०एस०सी०/बी०पी०एस०सी० एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है। प्रतिकेंद्र 120 प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। राज्य के प्रत्येक जिलों में एक–एक केंद्र के संचालन की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन हेतु कुल 8 करोड़ रु० का बजट प्रावधान किया गया है।
- इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

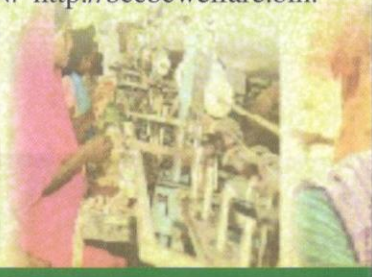

बेटी है एक वरदान। दहेज देकर मत करो अपमान।।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना

- ✓ "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना" इन वर्गों के लोगों की बेरोजगारी दूर करने एवं जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill Development Scheme) का संचालन श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत CIPET (Central Institure Of Plastic Eng.& Tech.), हाजीपुर एवं अन्य 30 चयनित कौशल प्रशिक्षण प्रदाता केन्द्रों द्वारा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के लिए रु० 15 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान है।

परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

- ✓ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2018–19 में परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 25 लाख रु० का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे 21000 छात्र–छात्रा लाभान्वित होंगे। इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

अन्य योजनाएं

- ✓ कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 15–28 वर्ष के युवाओं को भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में 3 वर्ष छूट दी जा रही है।

नयी पहल

- ● मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना एवं राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र–छात्राओं को **खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) की आपूर्ति**
- ✓ राज्य सरकार द्वारा छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उनकी छात्रावास

संबंधी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति छात्र/छात्रा 1000 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान दिया जा रहा है। राशि सीधे छात्र/छात्राओं के खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

- ✓ इसके अतिरिक्त राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सरकार ने 15 किलो मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। इस योजना के तहत छात्र/छात्राओं की रूचि को देखते हुए 15 किलो में से 9 किलो चावल एवं 6 किलो गेहूँ की आपूर्ति की जा रही है।
- ✓ इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित होने के साथ–साथ किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत भी होना चाहिए। छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रावासों में आवासित छात्रों की सूची छात्रावास अधीक्षक द्वारा विभागीय पोर्टल, **ई–कल्याण पोर्टल** पर अपलोड की जाएगी। इसका सत्यापन जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा उनके स्तर से सूची अनुमोदित की जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात प्रतिमाह छात्र/छात्राओं के बैंक खाता में छात्रावास अनुदान की राशि का अंतरण किया जाएगा।
- ✓ छात्रावासों तक खाद्यान्न की आपूर्ति बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत सीधे छात्रावास में की जा रही है। खाद्यान्न की कुल लागत तथा अन्य व्यय यथा–परिवहन, हथालन, स्थापना एवं भंडारण आदि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वेबसाइट www.bcebcwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

- ✓ **राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे सभी विद्यार्थियों, जो प्रारम्भिक परीक्षा में पास करते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।**
- ✓ इस योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 50,000 रु० एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पास करने वाले सभी विद्यार्थियों को 1 लाख रु० प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे।

- ✓ इस योजना के लिए अभ्यर्थी को बिहार राज्य का निवासी होने के साथ–साथ पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त सम्पोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत अथवा नियोजित नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा। यह प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जायेगी, ताकि इन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी में किसी तरह की आर्थिक बाधा का सामना नहीं करना पड़े। इस योजना के माध्यम से प्राप्त राशि का उपयोग उनके द्वारा मुख्य परीक्षा के पूर्व परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग/पर्याप्त मार्गदर्शन एवं उपयोगी पुस्तक क्रय करने में किया जा सकेगा।
- ✓ सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वेबसाइट www.bcebcwelfare.bih.nic.in पर बने लिंक से किया जा सकता है।
- ✓ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित पूराने जर्जर छात्रावास के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नये भवन का निर्माण कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

- ✓ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे लाभुक जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1996 के पूर्व समूहों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आवास का निर्माण कराया गया तथा जिनका आवास जीर्ण–शीर्ण हो गया है उन्हें आवास निर्माण हेतु 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि दी जायेगी।

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना

- ✓ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल है तथा उनके पास आवास का निर्माण करने हेतु वास भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें वास भूमि क्रय करने हेतु प्रति लाभार्थी 60,000 रुपये की सहायता राशि दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

- ✓ दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, वहां रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के सृजन हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत 4 सीट से 10 सीट तक के सवारी वाहनों का परिचालन संबंधित पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक किया जायेगा। प्रत्येक पंचायत के लिए 5 योग्य वाहनों की खरीद पर क्रय मूल्य की 50 प्रतिशत राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इन 5 वाहनों में 3 वाहन अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 2 वाहन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों हेतु होंगे।

बिहार सरकार के विकास के बढ़ते कदम...

बिहार सरकार

"मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना"

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए एकमुश्त ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का लाभ दिया जायेगा।

"मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना"

- अति पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन–पाठन हेतु टेबल–कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्त्तन एवं रसोईया इत्यादि की सुविधाएँ दी जा रही हैं।
- पूर्व में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

छात्रावास में मुफ्त खाद्यान्न योजना

- अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित अति पिछड़ा छात्र/छात्राओं को 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) दिया जायेगा।
- खाद्यान्न के क्रय, हथालन एवं परिवहन पर होने वाला व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। छात्र/छात्राओं की रूचि को देखते हुए 15 किलो में से 9 किलो चावल एवं 6 किलो गेहूँ की आपूर्ति की जाएगी। बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी सीधे छात्रावास में की जायेगी।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार

Design & Printed by Patna Offset Press, Patna # 9693202981

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612–2217048 पर करें।